

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. :: 156 / 2017

सरकार बनाम दयानन्द पुत्र गोकुलराम जाति- जाट  
निवासी- घरडू

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 17 / 11 / 2017


### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल दयानन्द पुत्र गोकुलराम, जाति-जाट, निवासी-घरडू द्वारा रोही मौजा घरडू की भूमि ख.नं. 114 के कुल रकबा 4.08 है० किस्म गै.मु. पायतन में से रकबा 0.01 है० भूमि पर डोलबाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल दिनांक 17 / 11 / 2017 को हाजिर अदालत हुआ। गैर सायल ने लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.06 का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 37 पर  
वर्ष 2017-18 में रूपरेखा 51 कायम किए  
राजस्व लेखाकार

  
(बनवारी लाल)  
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़